ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि० प्र० – 176033
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सोनिया	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री इकबाल सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सोनिया चौधरी	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत गुलेर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2022 को समेकित अंतशेष एवं रोकड़ बही अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष में अत्यधिक अंतर पाया जाना	**13.20**
2.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**16.20**
3.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**35.99**
4.	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.85**
5.	7.2	गृहकर/संपत्ति कर के रूप में प्राप्त राशि का प्रथम दृष्टया दुर्विनियोजन/गबन	**0.18**
6.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	**0.61**
7.	8.2	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	**0.07**
8.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**5.91**

9.	8.5	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**0.54**
10.	8.6	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	**0.54**
11.	9.1	मनरेगा के अर्न्तगत चयनित माह में व्यय राशि के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	**3.87**
12.	9.2	मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण चयनित माह में अनियमित भुगतान करने बारे	**0.81**
13.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि	**0.07**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्रवाई संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	5	अनिर्णीत
2.	6	अनिर्णीत
3.	8	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
4.	9	अनिर्णीत
5.	10	अनिर्णीत

6.	11	अनिर्णीत
7.	12	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
8.	13	अनिर्णीत
9.	14	अनिर्णीत
10.	15	अनिर्णीत
11.	16	अनिर्णीत
12.	17	अनिर्णीत

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पेज- पर दर्ज प्रविष्टि की पुष्टि उपरान्त)
2.	4	निर्णीत (वित्तीय स्थिति नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3.	4.1	अनिर्णीत
4.	4.2	अनिर्णीत
5.	5	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6.	6	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
7.	7.1	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
8.	7.2	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पैरे में शामिल राशि

		₹6200.00 की वसूली एवं बैंक में जमा की पुष्टि उपरांत)
9.	8	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पैरे में शामिल राशि ₹17062.00 की वसूली एवं बैंक में जमा की पुष्टि उपरांत)
10.	8.1	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पैरे में शामिल राशि ₹4860.00 की वसूली एवं बैंक में जमा की पुष्टि उपरांत)
11.	8.2	अनिर्णीत
12.	9	अनिर्णीत
13.	10	अनिर्णीत
14.	11	अनिर्णीत
15.	12	अनिर्णीत
16.	13	अनिर्णीत
17.	14	अनिर्णीत

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.11.2024 से 25.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	09/2022	03/2023
2023-24	04/2023	06/2023

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन***

पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/44 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 32/2024 दिनांक 20.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	603076.00	324774.00	927850.00	567803.00	360047.00
2023-24	360047.00	0.00	360047.00	210357.00	149690.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3491323.05	2954054.75	6445377.80	2102823.75	4342554.05
2023-24	4342554.05	973672.40	5316226.45	1717539.40	3598687.05

कुल योग (1+2) = 149690.00 + 3598687.05 = **3748377.05**

नोट:-रोकड़ बही अनुसार अनुदान IAY, SBM और 13th FC जिनका कुल प्रारम्भिक शेष राशि ₹1109557 है, को गत अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे वर्तमान अंकेक्षण की वित्तीय स्थिति में शामिल किया गया है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹37,48,377.05** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹21,27,930.17 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)/ पंचायत समिति (PS)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	20021004310	₹ 1,54,678.00
2.	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3SFC)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970347	₹ 0.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970278	₹ 91,904.00
4.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50069545557	₹ 1,13,580.00
5.	इंदिरा आवास योजना (IAY)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970234	₹ 0.00
6.	गुरु रविदास योजना (GRDY)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970392	₹ 0.00
7.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970256	₹ 0.00
8.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)/ एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50056896485	₹ 0.00
9.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ राजीव गांधी आवास योजना (RGAY)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970201	₹ 0.00
10.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी०	50056896509	₹ 0.00

		हरिपुर		
11.	13वाँ वित्तायोग (13^{TH} FC)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970381	₹ 0.00
12.	14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50066291659	₹ 0.00
13.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	यूको बैंक हरिपुर	30720110038130	₹ 17,67,620.42
14.	प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY)	यूको बैंक हरिपुर	30720110035863	₹ 147.75
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			₹ 0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			₹21,27,930.17
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹37,48,377.05**
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹21,27,930.17**
	अंतर :-			**₹16,20,446.88**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2022 को समेकित अंतशेष एवं रोकड़ बही अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष में राशि ₹13.20 लाख के अत्यधिक अंतर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2022 को समेकित अंतशेष एवं वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत रोकड़ बहियों अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष में **परिशिष्ट " घ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹13,20,371.70** राशि का अन्तर पाया गया जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/गुलेर दिनांक 21.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/33 दिनांक 21.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण में हस्तलिखित रोकड़ बहियों को प्रस्तुत किया गया था एवं समय के अभाव के कारण E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों में नियमित अद्यतन न हो पाने के कारण राशि **₹13,20,371.70** का अंतर पाया गया जिस बारे सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर पत्राचार कर E-Gram Swaraj पर संधारित रोकड़ बहियों का मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹16.20 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹16,20,446.88** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया तथा IWDP शीर्ष का -₹47802 माइनस शेष पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/गुलेर दिनांक 21.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/33 दिनांक 21.11.2024 द्वारा तथ्यों

की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हस्तलिखित रोकड़ बहियों के साथ-साथ E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों का भी अद्यतन किया गया है एवं हस्तलिखित रोकड़ बहियों से E-Gram Swaraj Portal पर कार्य करने हेतु परिवर्तन के दौरान त्रुटिपूर्वक online रोकड़ बहियों एवं बैंक में राशि **₹16,20,446.88** के अंतर बारे सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर पत्राचार कर E-Gram Swaraj पर संधारित रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY) की रोकड़ बही को ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर संधारित न करने बारे:-

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव करने बारे दिशा निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY) के आय व्यय हेतु हस्तलिखित रोकड़ बही प्रस्तुत की गई है जोकि अनियमित है एवं उपरोक्त वर्णित दिशा निर्देशों के विपरीत है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने, बहुमूल्य मानवश्रम की बचत करने तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "E-Gram Swaraj" के नाम से राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल का संचालन किया जा रहा है व ग्राम पँचायत द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये हस्तलिखित रोकड़ बही का संचालन करने के कारण सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करके चलाये जा रहे "E-Gram Swaraj" पोर्टल

को स्थापित करना ही निरुद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित रोकड़ बही को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पंचायत की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/गुलेर दिनांक 20.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/31 दिनांक 20.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY) स्कीम E-Gram Swaraj Portal पर उपलब्ध नहीं है एवं भविष्य में इस बारे पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY) स्कीम को E-Gram Swaraj Portal पर Map करवा कर online रोकड़ बही संधारित कर ली जाएगी एवं नियमित रूप से रोकड़ बही का नियमानुसार अद्यतन किया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY) की रोकड़ बही को नियमानुसार संधारित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.4 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये थे जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी०	20021004310

2.	5वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	हरिपुर	
3.	पंचायत समिति (PS)		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC) एवं पंचायत समिति (PS) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/गुलेर दिनांक 21.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/32 दिनांक 21.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार सभा निधि (OWN SOURCE), 5वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC) एवं पंचायत समिति (PS) के बैंक खातों को अलग-अलग कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC) एवं पंचायत समिति (PS) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में

कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/गुलेर दिनांक 21.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/34 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में पंचायत की अतिरिक्त निधि को नियमानुसार निवेश करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹35.99 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 32/2024 दिनांक 20.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹35,98,687.05** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/गुलेर दिनांक 21.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/34 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा यथास्थिति कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/गुलेर दिनांक 21.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/34 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.85 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका संधारित नहीं पाई गई। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/गुलेर दिनांक 22.11.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक GP/GULER/35 दिनांक 22.11.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹84,890.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर

प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 गृहकर/संपत्ति कर की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.18 लाख का प्रथम दृष्टया गबन/दुर्विनियोजन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 5(1) के अनुसार जब ग्राम पंचायत द्वारा धन प्राप्त किया जाता है तो ग्राम पंचायत का सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 में सलंग्न प्ररूप-3 पर अमिट स्याही से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद धन संदत्त करने वाले व्यक्ति / निधिकरण अभिकरण को जारी करेगा और इसका प्रतिपर्ण कार्यालय में रखा जाएगा तथा नियम 6 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त और खर्च किया गया सारा धन, ग्राम पंचायत निधि में जमा और प्रत्याहृत किया जाएगा तथा वित्त नियम 7(1) के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव, साधारण नियमों के प्ररूप-14 में रोकड़ बही बनाएगा। रोकड़ बही में प्रविष्टियां संव्यवहार की तारीख पर आय और व्यय की प्रत्येक मद के साथ की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01/04/22 से 31/03/24 में प्रपत्र-3 की रसीद बुकों का प्रयोग करके राशि **₹36,200.00** गृहकर/संपत्ति कर एकत्रित की गई थी जिसका **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न विवरण अनुसार रोकड़ बही में लेखांकन एवं बैंक में जमा करने संबंधी अनियमितता पाई गई, जिसमें से ₹18000/- की राशि का प्रथम दृष्टया दुर्विनियोजन/गबन किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/गुलेर दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/38 दिनांक 23.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हस्तलिखित रोकड़ बहियों के साथ-साथ E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों का भी अद्यतन किया जा रहा है एवं हस्तलिखित रोकड़ बहियों से E-Gram Swaraj Portal पर कार्य करने हेतु परिवर्तन के दौरान त्रुटिपूर्वक online रोकड़ बहियों में गृहकर से प्राप्त राशि की प्रविष्टि नहीं हो पाई जिस बारे सुधारात्मक कार्रवाई हेतु

विभागीय स्तर पर पत्राचार कर E-Gram Swaraj पर दुरुस्ती कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर प्रथम दृष्टया तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अत: गृहकर/संपत्ति कर की एकत्रित राशि **₹ 36,200.00** को रोकड़ बही में लेखांकन एवं बैंक में जमा करने संबंधी अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए यथा स्थिति उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही में करना एवं बैंक में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.61 लाख के अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " छ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹61,362.00** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की

वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/गुलेर दिनांक 23.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/40 दिनांक 25.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹61,362.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.07 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के

समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के व्यय चयनित माह 06/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ता (M/S Himachal Tiles) से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी । ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹3,71,655.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹7,433.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/गुलेर दिनांक 23.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/41 दिनांक 25.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.01 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के विशिष्टियों के पैरा क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹9,240.00** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹1,155.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/42 दिनांक 25.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित

नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹5.91 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹5,90,652.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 अग्रिम राशि ₹0.54 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 03/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹53,992.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ट "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 राशि ₹0.54 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ के दार्शनिक बिल (Proforma Bill)/Delivery/Transfer Challan/Payment Receipt के आधार पर **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹53,992.00** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया।

उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के अर्न्तगत चयनित माह में व्यय राशि ₹3.87 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत चयनित माह में व्यय राशि **₹3,86,590.00** से संबंधित निर्माण कार्यों के अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न विवरणानुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण चयनित माह में राशि ₹0.81 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड

प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों एवं बिल वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹80,836.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ङ"** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में मनरेगा कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा व नियमानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में भी उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 की वसूली बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00 (APL)/ ₹25.00 (BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00 (APL)/ ₹50.00 (BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम

2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹400.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/गुलेर दिनांक 23.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/39 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20021004310 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	**नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण तिथि**	**वसूली योग्य राशि (₹)**	**अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि (₹)**
1.	विजय सिंह	14.02.2024	27.02.2024	₹ 200.00	₹ 200.00
2.	सुमित कुमार	02.03.2024	14.03.2024	₹ 200.00	₹ 200.00
					₹ 400.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.07 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से निम्न विवरणानुसार वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹6,575.00** को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

क्र०सं०	पंजीकरण वर्ष	विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि
1	2022-23	3075
2	2023-24	3500
	योग	₹6575

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/गुलेर दिनांक 23.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/39 दिनांक 25.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध

हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ठ"** एवं **"ड"** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा। पूर्व मास के आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	7
4.	वर्गीकृत सार	29(4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
13.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	```
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/गुलेर दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/36 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर - II	ग्राम सभा (बैठक) प्रस्ताव और कार्यों की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा (बैठक), प्रस्ताव और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
3.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
4.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
5.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
7.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गुलेर दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/37 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई

सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/गुलेर दिनांक 25.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/GULER/43 दिनांक 25.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रखरखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः

अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

760–764 का0/प्र0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)170/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्र0

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलेर वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP GULER FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	603076.00	324774.00	927850.00	567803.00	360047.00
2023-24	360047.00	0.00	360047.00	210357.00	149690.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3491323.05	2954054.75	6445377.80	2102823.75	4342554.05
2023-24	4342554.05	973672.40	5316226.45	1717539.40	3598687.05

Test Checked

संजीव कुमार
पचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

44 34

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलेर वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP GULER FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	404815.00	7692.00	412507.00	234278.00	178229.00
		2023-24	178229.00	0.00	178229.00	81525.00	96704.00
2	SDP	2022-23	196251.00	657930.00	854181.00	498579.00	355602.00
		2023-24	355602.00	0.00	355602.00	182023.00	173579.00
3	IAY	2022-23	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
		2023-24	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
4	GRDY	2022-23	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
		2023-24	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5	MPLAD	2022-23	54188.00	141688.00	195876.00	91962.00	103914.00
		2023-24	103914.00	0.00	103914.00	97323.00	6591.00
6	IWDP/ IWMP	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	4780.00	-4780.00
7	RAYEAAY/ RGAY	2022-23	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00
		2023-24	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00
8	SBM	2022-23	4964.00	0.00	4964.00	0.00	4964.00
		2023-24	4964.00	0.00	4964.00	4964.00	0.00
9	3SFC	2022-23	82372.00	0.00	82372.00	0.00	82372.00
		2023-24	82372.00	0.00	82372.00	0.00	82372.00
10	13TH FC	2022-23	1104573.00	0.00	1104573.00	0.00	1104573.00
		2023-24	1104573.00	0.00	1104573.00	0.00	1104573.00
11	14TH FC	2022-23	579607.00	0.00	579607.00	0.00	579607.00
		2023-24	579607.00	0.00	579607.00	0.00	579607.00
12	15TH FC	2022-23	1064309.30	888687.00	1952996.30	19951.00	1933045.30
		2023-24	1933045.30	209011.00	2142056.30	582268.00	1559788.30
13	PMKY	2022-23	138.75	4.00	142.75	0.00	142.75
		2023-24	142.75	5.00	147.75	0.00	147.75
14	MNREGA	2022-23	0.00	1258053.75	1258053.75	1258053.75	0.00
		2023-24	0.00	764656.40	764656.40	764656.40	0.00

Note:- रोकड़ बही अनुसार अनुदान IAY, SBM और 13th FC जिनका कुल प्रारम्भिक शेष राशि ₹11,09,557/- है को गत अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे वर्तमान अंकेक्षण की वित्तीय स्थिति में शामिल किया गया है।

Total Checked

पचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

45 35

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलेर वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ग्राम पंचायत गुलेर के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)/ पंचायत समिति (PS)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	20021004310	₹ 1,54,678.00	₹ 1,49,690.00
2	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3SFC)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970347	₹ 0.00	₹ 82,372.00
3	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970278	₹ 91,904.00	₹ 96,704.00
4	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50069545557	₹ 1,13,580.00	₹ 1,73,579.00
5	इंदिरा आवास योजना (IAY)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970234	₹ 0.00	₹ 20.00
6	गुरु रविदास योजना (GRDY)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970392	₹ 0.00	₹ 2.00
7	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970256	₹ 0.00	₹ 6,591.00
8	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)/ एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50056896485	₹ 0.00	-₹ 4,780.00
9	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ राजीव गांधी आवास योजना (RGAY)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970201	₹ 0.00	₹ 83.00
10	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50056896509	₹ 0.00	₹ 0.00
11	13वाँ वित्तायोग (13TH FC)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50055970381	₹ 0.00	₹ 11,04,573.00
12	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	के०सी०सी०बी० हरिपुर	50066291659	₹ 0.00	₹ 5,79,607.00
13	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	यूको बैंक हरिपुर	30720110038130	₹ 17,67,620.42	₹ 15,59,788.30
14	प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY)	यूको बैंक हरिपुर	30720110035863	₹ 147.75	₹ 147.75
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 0.00	₹ 0.00
			कुल योग	**₹ 21,27,930.17**	**₹ 37,48,377.05**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 37,48,377.05**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 21,27,930.17**
अंतर :-	**₹ 16,20,446.88**

Total Checked

संजीव कुमार
पचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

46 36

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 4.2 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलेर वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ग्राम पंचायत गुलेर के गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2022 को समेकित अंतशेष एवं रोकड़ बही अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष में राशि ₹ 13.20 लाख के अंतर बारे

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2022 को अंतशेष	वर्तमान अंकेक्षण हेतु वित्तीय स्थिति अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहियों अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष
1	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	₹ 4,04,815.00	₹ 4,04,815.00	₹ 4,00,015.00
2	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	₹ 1,96,251.00	₹ 1,96,251.00	₹ 1,36,251.00
3	इंदिरा आवास योजना (IAY)	Record not produced during Last Audit	₹ 20.00	₹ 20.00
4	गुरु रविदास योजना (GRDY)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 1,031.00
5	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	₹ 54,188.00	₹ 54,188.00	₹ 47,597.00
6	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)/ एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 4,780.00
7	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ राजीव गांधी आवास योजना (RGAY)	₹ 83.00	₹ 83.00	₹ 1,681.00
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	Record not produced during Last Audit	₹ 4,964.00	₹ 4,964.00
9	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3SFC)	₹ 82,372.00	₹ 82,372.00	₹ 82,372.00
10	13वाँ वित्तायोग (13TH FC)	Record not produced during Last Audit	₹ 11,04,573.00	₹ 11,04,573.00
11	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	₹ 5,79,607.00	₹ 5,79,607.00	₹ 5,79,607.00
12	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	₹ 10,64,309.30	₹ 10,64,309.30	₹ 13,35,970.00
13	प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKY)	₹ 138.75	₹ 138.75	₹ 138.75
14	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)/ पंचायत समिति (PS)	₹ 6,03,076.00	₹ 6,03,076.00	₹ 6,06,214.00
		₹ 29,84,842.05	**₹ 40,94,399.05**	**₹ 43,05,213.75**

वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहियों अनुसार 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष:-	**₹ 43,05,213.75**
गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2022 को अंतशेष:-	**₹ 29,84,842.05**
अंतर :-	**₹ 13,20,371.70**

J.A.

पचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

47 37

(परिशिष्ट " ङ " पैरा संख्या " 7.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलेर वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 530 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 540 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 40,590.00	530	₹ 50.00	₹ 26,500.00	₹ 67,090.00	₹ 34,850.00	₹ 32,240.00
2023-24	₹ 32,240.00	540	₹ 100.00	₹ 54,000.00	₹ 86,240.00	₹ 1,350.00	₹ 84,890.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 84,890.00** है।						

Total checked

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगडा (हि०प्र०)

48 38

(परिशिष्ट " च " पैरा संख्या " 7.2 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलेर, वि०ख०- नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में गृहकर की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.36 लाख को अनियमित तौर पर रोकड़ बही में लेखांकन एवं बैंक में जमा करने बारे

		वित्तीय वर्ष 2022-23				
क्र सं	रसीद बही	रसीद संख्या	दिनांक	कुल	प्राप्त राशि	टिप्पणी
1	363001 से 363100	363001 से 363019	10.01.2023	19	₹ 2,850.00	बैंक में जमा परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाई गई
		363020	10.01.2023	1	₹ 200.00	
		363021	10.01.2023	1	₹ 150.00	
		363022 से 363025	11.01.2023	4	₹ 600.00	
		363026 से 363029	18.01.2023	4	₹ 600.00	
		363030 से 363036	19.01.2023	7	₹ 1,050.00	
		363037 से 363055	23.01.2023	19	₹ 2,850.00	
		363056 से 363062	24.01.2023	7	₹ 1,050.00	
		363063 से 363076	24.01.2023	14	₹ 2,100.00	
		363077	28.01.2023	1	₹ 150.00	
		363078 से 363090	03.02.2023	13	₹ 1,950.00	
		363091 से 363100	04.02.2023	10	₹ 1,500.00	
2	363101 से 363200	363101 से 363102	16.02.2023	2	₹ 300.00	बैंक में जमा परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाई गई
		363103 से 363118	16.02.2023	16	₹ 2,400.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		363119 से 363124	20.02.2023	6	₹ 900.00	
		363125 से 363128	21.02.2023	4	₹ 600.00	
		363129 से 363131	23.02.2023	3	₹ 450.00	
		363132 से 363135	24.02.2023	4	₹ 600.00	
		363136 से 363141	28.02.2023	6	₹ 900.00	
		363142 से 363151	01.03.2023	10	₹ 1,500.00	
		363152 से 363155	26.02.2023	4	₹ 600.00	
		363156 से 363157	03.03.2023	2	₹ 300.00	
		363158 से 363162	04.03.2023	5	₹ 750.00	
		363163 से 363165	06.03.2023	3	₹ 450.00	
		363166 से 363168	07.03.2023	3	₹ 450.00	
		363169	26.02.2023	1	₹ 150.00	
		363170 से 363180	09.03.2023	11	₹ 1,650.00	
		363181	10.03.2023	1	₹ 150.00	
		363182 से 363188	13.03.2023	7	₹ 1,050.00	
		363189 से 363195	14.03.2023	7	₹ 1,050.00	
		363196 से 363197	14.02.2023	2	₹ 300.00	
		363198 से 363200	15.03.2023	3	₹ 450.00	
3	360201 से 360300	360201	16.03.2023	1	₹ 150.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		360202 से 360212	18.03.2023	11	₹ 1,650.00	
		360213 से 360219	20.03.2023	7	₹ 1,050.00	
		360220	21.03.2023	1	₹ 150.00	
		360221 से 360226	21.03.2023	6	₹ 900.00	बैंक में जमा परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाई गई
		360227 से 360228	22.02.2023	2	₹ 300.00	
		360229 से 360231	27.03.2023	3	₹ 450.00	
		360232	29.03.2023	1	₹ 150.00	
				जोड़ (i)	₹ 34,850.00	
		वित्तीय वर्ष 2023-24				
4	360201 से 360300	360233 से 360235	10.04.2023	3	₹ 450.00	बैंक में जमा परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाई गई
		360236 से 360237	11.04.2023	2	₹ 300.00	
		360238 से 360241	21.04.2023	4	₹ 600.00	
				जोड़ (ii)	₹ 1,350.00	
				कुल जोड़ (i +ii)	₹ 36,200.00	

पचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

39

परिशिष्ट "द", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह के दौरान राशि ₹0.61 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
	अनुदान शीर्ष: क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)									
1	Nardev Singh Guleria	SDP/2022-23/P/3 31.03.2023	11/ 05.01.2023	Sand	2400	3	Trolley	₹ 7,200.00	36	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 360.00		
2	Nardev Singh Guleria		1/ 10.11.2022	Sand	2400	2	Trolley	₹ 4,800.00	36	उपलब्ध नहीं है
3				Bajri	2300	2	Trolley	₹ 4,600.00	22	
4				Boulder	2200	2	Trolley	₹ 4,400.00	32	
				GST @ 5%				₹ 690.00		
6	Nardev Singh Guleria		3/ 15.11.2022	Sand	2400	1	Trolley	₹ 2,400.00	36	उपलब्ध नहीं है
7				Bajri	2300	1	Trolley	₹ 2,300.00	22	
8				Boulder	2200	1	Trolley	₹ 2,200.00	32	
				GST @ 5%				₹ 345.00		
	वित्त वर्ष 2023-24									
	अनुदान शीर्ष: मनरेगा (MNREGA)									
19	M/s Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	353/ 11.03.2023	Crusher Sand	₹ 45.00	250.00	cft	₹ 11,250.00	51	उपलब्ध नहीं है
20				Crushe Agg 20 mm	₹ 38.00	105.00	cft	₹ 3,990.00	26	
				GST @ 5%				₹ 762.00		
21	M/s Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	354/ 11.03.2023	Crusher Sand	₹ 45.00	150.00	cft	₹ 6,750.00	51	उपलब्ध नहीं है
22				Crushe Agg 20 mm	₹ 38.00	225.00	cft	₹ 8,550.00	26	
				GST @ 5%				₹ 765.00		
							कुल जोड़	₹ 61,362.00		

Total checked

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat..Guler....
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

अरविन्द कुमार
ग्रा० रो० सेवक
ग्रा० पं० गुलेर

40

50

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करते समय जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह में राशि ₹ 0.07 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी.टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2023-24	Jun-23	M/S Himachal Tiles Dharamshala Road Spail, Sub Teh Nagrota Suriyan GST No. 02AFPPG5908K2ZB	Interlock Tiles 60 mm	₹ 3,71,655.00	2%	₹ 7,433.10
				Total (R/Off)	₹ 3,71,655.00	2%	₹ 7,433.00

Note: There was no bifuecation of GST paid in Bills therefore whole amount considered for GST TDS calculation

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat Guler
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

परिशिष्ट "ड" ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह में राशि ₹0.01 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23										
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	अनुदान शीर्ष: क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)									
1	Nardev Singh Guleria	SDP/2022-23/P/3 31.03.2023	1/ 10.11.2022	Boulder	2200	2	Trolley	₹ 4,620.00	12.50%	₹ 577.50
2	Nardev Singh Guleria		3/ 15.11.2022	Boulder	2200	1	Trolley	₹ 4,620.00	12.50%	₹ 577.50
									कुल जोड़	₹ 1,155.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat Guler
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

J.A.

परिशिष्ट "अ", पैरा संख्या "8.4" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह में राशि ₹ 5.91 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	टिप्पणी
	वित्त वर्ष 2022-23									
	अनुदान शीर्ष: क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)									
1	Nardev Singh Guleria	SDP/2022-23/P/3 31.03.2023	11/ 05.01.2023	Sand	2400	3	Trolley	₹ 7,200.00	36	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
				GST @ 5%				₹ 360.00		
2	Nardev Singh Guleria		1/ 10.11.2022	Sand	2400	2	Trolley	₹ 4,800.00	36	
3				Bajri	2300	2	Trolley	₹ 4,600.00	22	
4				Boulder	2200	2	Trolley	₹ 4,400.00	32	
5				Cement Carraige	40	13	Trolley	₹ 520.00		
				GST @ 5%				₹ 716.00		
6	Nardev Singh Guleria		3/ 15.11.2022	Sand	2400	1	Trolley	₹ 2,400.00	36	
7				Bajri	2300	1	Trolley	₹ 2,300.00	22	
8				Boulder	2200	1	Trolley	₹ 2,200.00	32	
				GST @ 5%				₹ 345.00		
9	M/s Himachal Tiles		269/ 07.03.2023	Inter Lock Tile	₹ 19.70	1600.00	sqft	₹ 31,520.00	50	
10			319/ 05.03.2023	Inter Lock Tile	₹ 19.70	1000.00	sqft	₹ 19,700.00	50	
11			202/ 21.11.2022	Inter Lock Tile With Labour	₹ 840.00	61.36	sqft	₹ 51,542.00	50	
12			314/ 18.03.2023	Inter Lock Tile	₹ 19.70	154.00	sqft	₹ 3,034.00	50	
	वित्त वर्ष 2023-24									
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)									
13	Shiv Shankar Power Product	XVFC/2023-24/P/5 25.06.23	021/ 16.02.2023	Water Cooler PS 20/40 with installation and freight	₹ 35,400.00	1.00	Nos.	₹ 35,400.00	16	निविदायें कार्यवाही रजिस्टर में पारित नहीं की गई
14	M/s Himachal Tiles	XVFC/2023-24/P/1 25.06.23	021/ 16.02.2023	Inter Lock Tile	₹ 19.70	827.00	sqft	₹ 15,893.00	50	
	अनुदान शीर्ष: मनरेगा (MNREGA)									
15	M/s Himachal Tiles	Nil/ 27.06.2023	201/ 11.11.2022	Inter Lock Tile with Labour	₹ 325.00	490.00	m^2	₹ 1,59,250.00	11	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
16	M/s Himachal Tiles	Nil/ 28.06.2023	308/ 22.03.2023	Inter Lock Tile With Labour	₹ 19.70	1042.00	sqft	₹ 20,527.00	11	
17	M/s Himachal Tiles	Nil/ 28.06.2023	309/ 22.03.2023	Inter Lock Tile With Labour	₹ 19.70	9239.00	sqft	₹ 1,82,008.00	11	
18	M/s Himachal Tiles	Nil/ 28.06.2023	307/ 22.03.2023	Inter Lock Tile	₹ 19.70	501.00	sqft	₹ 9,870.00	11	
19	M/s Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	353/ 11.03.2023	Crusher Sand	₹ 45.00	250.00	cft	₹ 11,250.00	51	
20				Crushe Agg 20 mm	₹ 38.00	105.00	cft	₹ 3,990.00	26	
				GST @ 5%				₹ 762.00		
21	M/s Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	354/ 11.03.2023	Crusher Sand	₹ 45.00	150.00	cft	₹ 6,750.00	51	
22				Crushe Agg 20 mm	₹ 38.00	225.00	cft	₹ 8,550.00	26	
				GST @ 5%				₹ 765.00		
							कुल जोड़	₹ 5,90,652.00		

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat...........
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

अरविन्द कुमार
ग्रा० रो० स०
ग्रा० पं० गुलेर

43

53

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 8.5 व 8.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा सीमेंट क्रय से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹0.54 लाख समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित वर्ष 202-23

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	प्रोफॉर्मा बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा (Bags)	भुगतान की गई राशि
	अनुदान शीर्ष: क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)						
1	हि०प्र०सिवल सप्लाई नगरोटा सूरियाँ	SDP/2022-23/P/3 31.03.2023	Payment Receipt	सीमेंट	₹ 397.00	8.00	₹ 3,176.00
2	हि०प्र०सिवल सप्लाई नगरोटा सूरियाँ		Payment Receipt	सीमेंट	₹ 397.00	8.00	₹ 3,176.00
वित वर्ष 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित आयोग (15TH FC)						
3	हि०प्र०सिवल सप्लाई नगरोटा सूरियाँ	XVFC/2023-24/P/3 25.06.23	299062/ 25.06.2023	सीमेंट	₹ 397.00	30.00	₹ 11,910.00
4	हि०प्र०सिवल सप्लाई नगरोटा सूरियाँ	XVFC/2023-24/P/4 25.06.23	299063/ 25.06.2023	सीमेंट	₹ 397.00	50.00	₹ 19,850.00
	अनुदान शीर्ष: मनरेगा (MNREGA)						
5	हि०प्र०सिवल सप्लाई नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 28.06.2023	147526/ 08.12.2022	सिमेन्ट	₹ 397.00	20.00	₹ 7,940.00
6	हि०प्र०सिवल सप्लाई नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 20.06.2023	147527/ 08.12.2022	सिमेन्ट	₹ 397.00	20.00	₹ 7,940.00
						कुल जोड़	**₹ 53,992.00**

अरविन्द कुमार
ग्रा० रो० सेवक
ग्रा० पं० गुलेर

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat. Guler...
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ठ " पैरा संख्या " 9.1 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा मनरेगा अनुदानों के अंतर्गतचयनित माह में व्यय राशि ₹3.87 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल भुगतान की गई राशि	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मस्टर रोल सं०/ दिनांक	चयनित माह में भुगतान की गई राशि	एम० बी० सं० / पृ० सं०	कार्य की स्थिति
1	Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. HP130450556(1304010463/IF/IAY/22664)	2021-22	₹ 19,285.00	₹ 18,761.00	Nil/ 05.06.2023	....	556/ 18.05.2023	₹ 4,551.00	Not Produced	पूर्ण
2	Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. HP130450556(1304010463/IF/IAY/22664)	2021-22	₹ 19,285.00	₹ 19,089.00	Nil/ 05.06.2023	....	557/ 18.05.2023	₹ 5,540.00	Not Produced	पूर्ण
					Nil/ 21.06.2023	....	860/ 01.06.2023	₹ 5,144.00		
3	निर्माण एम्बुलेंस रोड काहत पुखर से विधि चन्द के घर तक Convergence with 15th FC (1304010463/RC/8000139546)	2021-22	₹ 4,86,792.00	₹ 4,70,053.80	Nil/ 27.06.2023	201/ 11.11.2022	....	₹ 1,58,950.00	Not Produced	पूर्ण
					Nil/ 28.06.2023	307/ 22.03.2023	....	₹ 9,870.00		
						308/ 22.03.2023	....	₹ 20,527.00		
						309/ 22.03.2023	....	₹ 1,82,008.00		
	कुल जोड़		₹ 5,25,362.00	₹ 5,07,903.80				₹ 3,86,590.00		

अरविन्द कुमार
ग्रा० रो० सेवक
ग्रा० पं० गुलेर

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat Guler
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

95

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 9.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना व माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करना तथा नमूना जांच नियामनुसार न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के व्यय चयनित माह में राशि ₹0.81 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत	स्वीकृत राशी	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मस्टर रोल सं०/ दिनांक	चयनित माह में भुगतान की गई राशि	मूल्याकन राशि	MIS अनुसार कुल भुगतान की गई राशि	एम० बी० सं० / पृ० सं०	कार्य की स्थिति
1	C/o Drian Ayarvidic Hospital to Mata Prakash House to Gp Guler (1304010463/FP/8000066578)	2019-20	₹ 1,50,000.00	Nil/ 14.03.2023	37/ 06.09.2021	......	₹ 4,620.00	₹ 1,42,884.42	₹ 1,42,884.42	25599/ 17-18	पूर्ण
2	निर्माण भू-सरक्षण हेतु सुरक्षा दिवार शिव मन्दिर बोडू कुएं के पास (1304010463/FP/8000087778)	2021-22	₹ 2,96,144.00	Nil/ 20.06.2023	......	849/ 02.06.20223	₹ 9,300.00	......	₹ 1,57,345.50	25599/ 41-43	प्रगतिशील
3	निर्माण कुआं जीवना देवी , केवल कुमार इत्यादि की जमीनों में (1304010463/IC/8000048131)	2022-23	₹ 2,74,697.00	Nil/ 20.06.2023	......	851/ 02.06.2023	₹ 12,466.00	......	₹ 62,019.00	25599/ 44	प्रगतिशील
4	निर्माण वाटर टैंक धर्म चन्द पुत्र दुलो राम की जमीन में वार्ड न० 04 (अभिसरण कच्चा पक्का टैंक) (1304010463/WC/8000103335)	2022-23	₹ 1,00,000.00	Nil/ 28.06.2023	147526/ 08.12.2022	......	₹ 7,940.00	₹ 80,227.00	₹ 67,318.26	25599/ 29-31	पूर्ण
				Nil/ 28.06.2023	353/ 11.03.2023	......	₹ 15,240.00				
5	निर्माण वाटर टैंक सुरेश कुमार की जमीन में (अभिसरण कच्चा पक्का टैंक) (1304010463/WC/8000103337)	2022-23	₹ 1,00,000.00	Nil/ 28.06.2023	0372/ 20.07.2023	......	₹ 8,330.00	₹ 97,021.00	₹ 71,292.40	25599/ 35-37	पूर्ण
				Nil/ 20.06.2023	147527/ 08.12.2022	......	₹ 7,940.00				
6	निर्माण वाटर टैंक प्रदीप कुमार पुत्र गुरदेव सिंह ह की जमीन में (1304010463/WC/8000111338)	2022-23	₹ 99,589.00	Nil/ 28.06.2023	354/ 11.03.2023	......	₹ 15,000.00	₹ 97,285.00	₹ 89,003.00	25599/ 32-34	पूर्ण
		कुल योग	₹ 8,70,430.00				₹ 80,836.00	₹ 4,17,417.42	₹ 5,89,862.58		

अरविन्द कुमार
ग्रा० रो० से०
ग्रा० प० गुलेर

Iqbal Singh
Technical Assistant
Gram Panchayat. Guler...
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गुलेर
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

56

46